न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 22/2020

उनवान

1 मैनादेवी पत्नि भूपेन्द्र जांगिड जाति खाती निवासी निठारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1 लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगलसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र सवाई सिंह
3. हनुमानसिंह पुत्र सवाई सिंह
4. गोपालसिंह पुत्र सवाई सिंह
5. कमलाकंवर पुत्री सवाई सिंह
6. संतोष कंवर पुत्री सवाई सिंह
7 प्रेमकंवर पत्नि शायरसिंह
8. इन्द्रजीतसिंह पुत्र शायरसिंह
9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र शायरसिंह
10 विजेन्द्रसिंह पुत्र शायरसिंह
11.संजयसिंह पुत्र शायरसिंह
12 नीलम पुत्री शायरसिंह
13 मीनाकंवर पुत्री शायरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी निठारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
14 राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा
15उप पंजीयक शाहपुरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक : 30.7.2020

वादिया की ओर से यह वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.न 661 रकबा 0.13 है. वाके ग्राम निठारा तह. शाहपुरा में स्थित है । उक्त आराजी में वादिया का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादिया अपने हिस्से पर काबिज कास्त है तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त होकर सह खातेदार कास्तकार है। उक्त आराजी का वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी मुख्य सड़क से लगती हुई है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही सड़क से लगती हुई विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी लठेत व्यक्ति को बैचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 15 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्व कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने पर आमादा है । प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है । दिनांक 10.7.20 को वादिया आराजी मुतनाजा मे खडी फसल की देखरेख कर रही थी तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में 5–7 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के सड़क से लगते विशिष्ठ भू भाग की नाप जोख करने लगे । वादिया ने उनसे नाप जोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादिया से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादिया को एलानिया धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ठ भू भाग को अजनबी व्यक्तियो को बैचान कर उनके पक्ष में अंतरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर रहेगे । वादिया को जबरन बैदखल कर आराजी के विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा करवा कर रहेगें। इस कारण वादिया को न्यायालय में यह वाद पेश करना आवश्यकत हो गया । खातेदार सवाई सिंह फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0 2 लगा0 13 है जिनका अभी नामान्तकरण नहीं हुआ है तथा विधिक वारिस होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 661 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम निठारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–2 लगान निर्धारण किया जावे । प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादिया के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील वादिया को बंटवारा रिपोर्ट पर सुना गया । वकील वादिया ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादिया की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 661 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम निठारा तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.नं. 661/1 रकबा 0.0433 है0 , भूमि वादिया मैना देवी पत्नि भूपेन्द्र जांगिक जाति खाती निवासी निठारा तहसील शाहपुरा के हिस्से में रहेगी ।

2. आ0ख0नं0 661 रकबा 0.0867 है0 भूमि प्रतिवादीगण लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगलसिंह हि0 1/2, मोहनसिंह, हनुमानसिंह, गोपालसिंह पि0 सवाईसिंह हि0 3/12, कमला कंवर, सन्तोषकंवर पुत्रियान सवाईसिंह हि0 2/12 प्रेमकंवर पत्नि सायरसिंह, इन्द्रजीत सिंह, जोगेन्द्रसिंह, विजेन्द्रसिंह, संजयसिंह पि0 शायरसिंह, नीलमकंवर, मीना कंवर पुत्रियान शायरसिंह हि0 1/12 जातिगण राजपूत निवासी निठारा के हिस्से में रहेगी कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2020. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 22/2020

उनवान

1 मैनादेवी पत्नि भूपेन्द्र जांगिड जाति खाती निवासी निठारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादिया

बनाम

1 लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगलसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र सवाई सिंह
3. हनुमानसिंह पुत्र सवाई सिंह
4. गोपालसिंह पुत्र सवाई सिंह
5. कमलाकंवर पुत्री सवाई सिंह
6. संतोष कंवर पुत्री सवाई सिंह
7 प्रेमकंवर पत्नि शायरसिंह
8. इन्द्रजीतसिंह पुत्र शायरसिंह
9. जोगेन्द्रसिंह पुत्र शायरसिंह
10 विजेन्द्रसिंह पुत्र शायरसिंह
11.संजयसिंह पुत्र शायरसिंह
12 नीलम पुत्री शायरसिंह
13 मीनाकंवर पुत्री शायरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी निठारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
14 राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा
15 उप पंजीयक शाहपुरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 661 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम निठारा तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.नं. 661/1 रकबा 0.0433 है0 , भूमि वादिया मैना देवी पत्नि भूपेन्द्र जांगिक जाति खाती निवासी निठारा तहसील शाहपुरा के हिस्से में रहेगी ।

2. आ0ख0नं0 661 रकबा 0.0867 है0 भूमि प्रतिवादीगण लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगलसिंह हि0 1/2, मोहनसिंह, हनुमानसिंह, गोपालसिंह पि0 सवाईसिंह हि0 3/12, कमला कंवर, सन्तोषकंवर पुत्रियान सवाईसिंह हि0 2/12 प्रेमकंवर पत्नि सायरसिंह, इन्द्रजीत सिंह, जोगेन्द्रसिंह, विजेन्द्रसिंह, संजयसिंह पि0 शायरसिंह, नीलमकंवर, मीना कंवर पुत्रियान शायरसिंह हि0 1/12 जातिगण राजपूत निवासी निठारा के हिस्से में रहेगी कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज तारीख .30.7.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	